राज्य बजट का अध्ययन व विश्लेषण

बजट समाचार

त्रैमासिक | अंक 55 | जनवरी – मार्च 2016 | सीमित प्रसार के लिए

राजस्थान बजट 2016–17 : एक अवलोकन

सम्पादकीय

वर्ष 2016–17 का बजट पेश करते हुए अपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने सभी वर्गों तथा क्षेत्रों को खुश करने का प्रयास किया। हालांकि बजट में प्रस्तुत आंकड़े पेश किये गये बजट भाषण में सकारात्मकता का समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन बजट के आंकड़ों पर आने से पहले राज्य सरकार द्वारा पेश किये गये आर्थिक समिक्षा से उभर रही राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक नजर डालना आवश्यक है।

आर्थिक समिक्षा के अनुसार राज्य के सकल घरेलु उत्पाद की वृद्धि की दर (स्थिर कीमतों पर) पिछले तीन वर्षों में 6 प्रतिशत वार्षिक से थोड़ी अधिक रही है। वहीं प्रति व्यक्ति आय (स्थिर कीमतों पर) मात्र साढ़े चार प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ी है। अगर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की बात करें तो कृषि क्षेत्र में लगातार दूसरे वर्ष नकारात्मक वृद्धि हुई है तथा कुल मुल्य संवर्धन में कृषि का योगदान 2011–12 के 28 प्रतिशत से घटकर 2015–16 में 24 प्रतिशत पर आ गया है। औद्योगिक वृद्धि की दर भी पिछले दो वर्षों में 6 प्रतिशत से कम रही है तथा केवल सेवा क्षेत्र में ही वृद्धि दर पिछले दो वर्षों में 11 प्रतिशत के आस –पास रही है।

अब अगर ऐसे में हम राज्य सरकार द्वारा पेश किये गये बजट पर एक नजर डालें तो आंकड़े बहुत संतोषजनक नहीं हैं। राज्य में हालांकि पिछले वर्ष की अपेक्षा राजस्व आय में 1.06 लाख करोड़ रूपये (संशोधित अनुमान) से बढ़कर वर्ष 2016–17 में 1.23 लाख करोड़ हो जाने के अनुमान है वहीं राजस्व व्यय भी 1.12 लाख करोड़ से रूपये से बढ़कर 1.32 लाख करोड़ रूपये हो गया है, जिससे राजस्व घाटे में मामुली वृद्धि हुई है। साथ ही राजस्व आय में वृद्धि के साथ कुल योजनागत खर्च (उदय रहित) 56 हजार करोड़ से बढ़कर 67 हजार करोड़ हो गया है। जबकि कुल पूंजीगत खर्च (उदय रहित) 25 हजार करोड़ से बढ़कर 28 हजार करोड़ रूपये हुआ है।

मुख्यमंत्री के बजट भाषण की बात करें तो हर क्षेत्र के लिये कुछ ना कुछ महत्त्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं। एक तरफ जहां उद्योगों तथा व्यापार क्षेत्र के लिये कई घोषणाएं जैसे रीको द्वारा लैण्ड बैंक बनाया जाना, स्टार्ट अप पॉलिसी 2015, सभी जिलों में एमएसएमई फैसीलीटेशन सेंटर तथा बिजनेस इनक्युबेटर स्थापित करने आदि की घोषणा हुई वहीं कृषि में 40 हजार नये कृषि कनेक्शन देने, किसानों को पुराने पंप सेट देने के बदले कम विद्युत वाले नये पंप सेट देने की घोषणा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने की घोषणा, दस जिलो में एक –एक प्रखण्ड को पूर्ण रूप से जैविक बनाने की घोषणाएं महत्तवपूर्ण हैं।

परन्तु किसानों को सस्तीदर पर बिजली उपलब्ध कराने के लिये अगले पांच साल में 205 करोड़ रूपये का अनुदान प्रस्तावित है जो प्रति वर्ष मात्र 41 करोड़ रूपये होता है। कृषि क्षेत्र को कुल आवंटन 6515.93 करोड़ रूपये हैं जो पिछले वर्ष के बजट अनुमान से लगभग 24 प्रतिशत अधिक है। चुंकि पिछले वर्ष कृषि क्षेत्र में कोई खास वृद्धि नहीं हुई थी इसलिये यह वृद्धि महत्त्वपूर्ण है। सिंचाई क्षेत्र के लिये कुल आवंटन 4133 करोड़ रूपये है जो पिछले वर्ष से 664 करोड़ रूपये अधिक है। उसी प्रकार ग्रामीण विकास के लिये कुल आवंटन 14814.34 करोड़ रूपये किया गया है जो पिछले वर्ष से 1846 करोड़ रूपये अधिक है। कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बिगड़ते हालात के मद्देनजर यह वृद्धि कितनी कारगर होगी यह देखना होगा। सड़क निर्माण पर कुल व्यय में भी पिछले वर्ष की अपेक्षा 872 करोड़ रूपये बढ़ाया गया है। लेकिन सड़क निर्माण के लिये हुई सारी घोषणाओं के मद्देनजर यह वृद्धि कुछ खास नहीं है।

सामाजिक सेवाओं के बजट में मामूली वृद्धि :

सामाजिक सेवाओं में शिक्षा पर कुल आंवटन 25464 करोड़ रूपये है जो पिछले वर्ष के बजट अनुमान से मात्र 6.8 प्रतिशत अधिक है। स्वास्थ्य में कुल आवंटन 9537 करोड़ है जो पिछले वर्ष के बजट अनुमान से मात्र 1.2 प्रतिशत अधिक है। जबकि पोषण के लिये कुल आवंटन 1667 करोड़ रूपये है जो पिछले वर्ष से 27 करोड़ कम ही है।

बजट आवंटन पर खर्च नहीं :

बजट में जहां आवंटन के आकड़े हमेशा बढ़े हुए होते है वहीं संशोधित अनुमान हमेशा कम होते हैं। वर्ष 2014–15 में भी संशोधित अनुमान बजट अनुमानों से कम थे और चालु वर्ष (2015–16) में भी लगभग सभी क्षेत्रों में संशोधित अनुमान बजट अनुमानों से कम हैं। उदाहरण के लिये कृषि क्षेत्र में खर्च का संशोधित अनुमान बजट अनुमान से 100 करोड़ रूपये तथा सिंचाई में 200 करोड़ रूपये कम हुआ है। हालांकि ग्रामीण विकास में 2015–16 का संशोधित आवंटन 1094 करोड़ रूपये बढ़ा है। लेकिन सामाजिक सेवाओं, शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर भी वर्ष 2016–17 में क्रमशः 1434 करोड़ तथा 1174 करोड़ रूपये कम खर्च होने का अनुमान है। पोषण पर कुल खर्च भी बजट अनुमान से 100 करोड़ रूपये कम होने का अनुमान है। इसका अर्थ यह है कि वास्तविक व्यय, विशेषकर सामाजिक क्षेत्र में, बजट आवंटन से कम ही रहता है।

उदय योजना :

इसके अलावा इस वर्ष बजट में एक बड़ी घोषणा उदय योजना के तहत बिजली वितरण कंपनीयों के ऋण का 75 प्रतिशत (लगभग 60 हजार करोड़) भार राज्य सरकार ने लेने का निर्णय किया है जिसमें से 40 हजार करोड़ रूपये 2015–16 में तथा 20 हजार करोड़ रूपये 2016–17 में राज्य सरकार के कंधो पर आ जायेगा। इस बड़े परिवर्तन से राज्य का राजकोषिय घाटा ही नहीं बढ़ गया है बल्कि सरकार का ब्याज आदायगीयों पर खर्च भी बढ़ गया है।

वर्ष 2016–17 में ब्याज आदायगीयों पर खर्च में 5564 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि सरकार की ब्याज अदायगीयों पर बढ़े खर्च से सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ा है लेकिन संपुर्ण रूप से यह बजट राज्य की अर्थव्यवस्था की चुनौतीयों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम नहीं लगता। सरकार ने खर्च में बढ़ोतरी की है लेकिन उनमें से अगर ब्याज अदायगीयों पर बढोतरी को हटाएं तो राजस्व खर्च में विशेष वृद्धि नही हुई है। उसी प्रकार पूंजीगत खर्च में भी मात्र 3 हजार करोड़ की वृद्धि हुई है। ऐसे में आशा करें कि वर्ष 2016–17 में सरकार के आय व्यय के लक्ष्य पूर्ण होते हैं तथा इससे अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। साथ ही अब यह भी देखना है कि बिजली कंपनीयों के कर्ज के बोझ में आई कमी से क्या अब बिजली क्षेत्र पहले से अधिक चुस्त, दुरूस्त तथा सक्षम रुप से काम करेगा।

राज्य में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के बजट में मामूली बढ़ोत्तरी

राजस्थान में कृषि क्षेत्र की स्थिति :

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से 8वां बड़ा राज्य है। राज्य का कुल क्षेत्रफल 3.42 करोड़ हैक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का करीब 10.4 प्रतिशत है। इसी प्रकार 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 6.86 करोड़ हो गई है, जो देश की कुल जनसंख्या का 5.67 प्रतिशत है। राज्य की करीब 60 प्रतिशत आबादी कृषि एवं संबंधित गतिविधियों से जुड़ी हैं। राज्य का उत्तर–पश्चिमी भाग थार का मरुस्थल है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 61 प्रतिशत है। इस भूभाग में वर्षा के अभाव के कारण निरंतर सुखा पड़ता है एवं फलस्वरुप राज्य की कृषि प्रभावित होने से बड़े पैमाने पर लोगों की आजीविका प्रभावित होती है। इसके विपरीत राज्य का पूर्वी, उत्तरी–पुर्वी एवं दक्षिणी–पूर्वी भाग मैदानी है, जहां तुलात्मक रुप से अच्छी वर्षा होने के साथ कृषि पैदावार भी अच्छी होती है।

आर्थिक समीक्षा 2015–16 के अनुसार राज्य में वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल 182.68 हैक्टेयर है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का करीब 53.31 प्रतिशत है। कृषि संबंधी गणना 2010–11 के अनुसार राज्य में कुल जोतों की करीब 33.5 प्रतिशत (एक तिहाई) जोतें 1 हैक्टेयर से कम आकार की है, जो जोतों के कुल क्षेत्र का करीब 5 प्रतिशत है। इसी प्रकार लघु जोतों वाले किसानों का प्रतिशत 21.3 है, जो कुल क्षेत्र के 9 प्रतिशत पर है। अतः राज्य में तकरीबन 55 प्रतिशत जोतें लघु एवं सीमांत है, जिनके अन्तर्गत कुल जोतों के क्षेत्र का मात्र करीब 14 प्रतिशत क्षेत्र आता है। राज्य में करीब 20 प्रतिशत सीमांत मध्यम जोतें हैं, जिनका क्षेत्र 17 प्रतिशत है। इसके विपरित राज्य में मध्यम जोतें तकरीबन 18 प्रतिशत है, जिनके अन्तर्गत करीब 32 प्रतिशत क्षेत्र आता है। इसी प्रकार बड़ी जोतें करीब 7 प्रतिशत है, जिनके पास 36 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र है।

राज्य में कुल कृषिगत क्षेत्र का 35 से 38 प्रतिशत क्षेत्र ही सिंचित है, जबकि शेष 62 से 65 प्रतिशत गैर सिंचित क्षेत्र है। राज्य में सिंचाई के विभिन्न स्रोतों पर सिंचाई की निर्भरता देखते हैं तो राज्य में करीब 70 प्रतिशत सिंचाई, कुओं एवं नलकूप पर निर्भर है। अन्य स्रोतों की कमी के कारण कुओं एवं नलकूप द्वारा भूमिगत जल का तेजी विदोहन हो रहा है एवं भूमिगत जलस्तर निरंतर गिर रहा है।

तालिका 1: राज्य के कुल बजट के अनुपात में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र तथा सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण का बजट (रू करोड़ में)

वर्ष	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र		सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	
	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का बजट	राज्य के कुल व्यय का प्रतिशत	सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण का बजट	राज्य के कुल व्यय का प्रतिशत
2014–15 (बजट अनुमान)	5469.15	4.16	3379.65	2.5
2014–15 (संशोधित अनुमान)	5260.68	4.17	3214.33	2.5
2014–15 (वास्तविक व्यय)	4537.8	3.89	2989.89	2.5
2015–16 (बजट अनुमान)	5232.55	3.7	3466.53	2.5
2015–16 (संशोधित अनुमान)	5129.85	2.8	3246.55	1.79
2016–17 (बजट अनुमान)	6515.93	3.8	4131.22	2.4

स्रोत : बजट पुस्तीका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

राज्य में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र तथा सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण का बजट :

उपरोक्त तालिका में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र तथा सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण के बजट को राज्य के कुल बजट के अनुपात में दर्शाया गया है जिसके अनुसार राज्य सरकार ने इस वर्ष अपने कुल व्यय की 3.8 प्रतिशत राशि कृषि एवं संबद्ध सेवाओं में तथा 2.4 प्रतिशत राशि सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण व्यय करना अनुमानित किया है। यह लगभग गत वर्ष के बजट अनुमान के समान ही है परन्तु गत वर्ष के संशोधित बजट से ज्यादा है। अगर गत दो वर्षों के बजट को देखें तो पता चलता है कि 2015–16 के बजट अनुमान में राज्य सरकार ने अपने कुल बजट का 3.7 प्रतिशत कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिये आवंटित किया जो कि 2014–15 के बजट अनुमान से 0.46 प्रतिशत कम है तथा इसे संशोधित

शेष पृष्ठ 3 पर ....

अगले वित्तीय वर्ष से बजट में आयोजना, गैर आयोजना वर्गीकरण की समाप्ति की घोषणा अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं का भविष्य अधर में!

इस वर्ष केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में अगले वित्तीय वर्ष (2017–18) से बजट के आयोजना, गैर आयोजना वर्गीकरण को समाप्त करने की घोषणा की है। परंतु उन्होंने अपने बजट भाषण में यह नहीं बताया कि इस वर्गीकरण की समाप्ति से दलितों एवं आदिवासियों हेतु संचालित उपयोजनाओं का क्या होगा। गौरतलब है कि इन उपयोजनाओं का आधार आयोजना बजट है एवं सरकारों को अपने आयोजना बजट की आदिवासी एवं दलित आबादी के अनुपात में इन उपयोजनाओं के तहत राशि आवंटित करनी होती है। ऐसे में जब अगले वित्तीय वर्ष से बजट में आयोजना, गैर आयोजना वर्गीकरण ही समाप्त हो जायेगा तो उपयोजनाओं का भविष्य क्या होगा। अतः सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगले वर्ष से उपयोजनाओं के क्रियांवयन हेतु बजट आवंटन एवं खर्च कैसे एवं किस आधार पर होगा। ऐसे में केन्द्र तथा राज्य सरकारों को बड़े स्तर पर विमर्श तथा चर्चा के आधार पर दलित तथा आदिवासी समुदायों के विकास एवं सशक्तिकरण के लिये रणनीति तैयार करनी चाहिये। साथ ही जनसंगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं आमजनों को भी इस पर विमर्श करने की आवश्यकता है।

राजस्थान सरकार का स्वास्थ्य एवं पोषण बजट

स्वास्थ्य एवं पोषण मानव विकास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण सूचक है एवं समाज के सामाजिक एवं आर्थिक विकास से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रुप से जुड़ा हुआ है। लेकिन देश में स्वास्थ्य एवं पोषण पोषण के हालात बेहद कमजोर हैं साथ ही बड़ी संख्या में महिलायें एवं बच्चे एनिमिया एवं कुपोषण से ग्रसित है। 2015 की भारत स्वास्थ्य रिपोर्ट : पोषण के अनुसार देश में 5 वर्ष से कम आयु के करीब 38.7 प्रतिशत बच्चे औसत से कम लम्बाई (stunted) के है वहीं 6–59 महीने के बच्चों में से लगभग 69.5 प्रतिशत बच्चे एनिमिया के शिकार है तथा 3 साल से कम उम्र के बच्चों में लगभग 18.6 प्रतिशत बच्चों का वज़न जन्म के समय प्रमाणित वज़न से कम पाया गया है। इसके अलावा रिपोर्ट के अनुसार देश में 15–49 साल की महिलाओं में से लगभग 55.3 प्रतिशत महिलायें एनिमिया से ग्रस्त हैं।

राजस्थान की अगर बात की जाये तो एनएफएचएस–3 (वर्ष 2005–06) के अनुसार राज्य में करीब 53 प्रतिशत महिलायें एनिमिया से ग्रसित हैं वहीं करीब 37 प्रतिशत बच्चे कुपोषण से ग्रसित है। 2015 की **भारत स्वास्थ्य रिपोर्ट** : पोषण के अनुसार राजस्थान में 5 वर्ष से कम आयु के करीब 36.4 प्रतिशत बच्चे औसत से कम लम्बाई (stunted) के है वहीं 6–59 महीने के बच्चों में से लगभग 69.7 प्रतिशत बच्चे एनिमिया के शिकार है तथा 3 साल से कम उम्र के बच्चों में लगभग 23.2 प्रतिशत बच्चों का वज़न जन्म के समय प्रमाणित वज़न से कम पाया गया है। इसके अलावा रिपोर्ट के अनुसार देश में 15–49 साल की महिलाओं में से लगभग 53.1 प्रतिशत महिलाऐं एनिमिया से ग्रसित हैं। राजस्थान की 2015–16 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार राज्य में शिशु मृत्यु दर 47 (प्रति हजार जीवित जन्म) है जो राष्ट्रीय औसत (40) से 7 अंक अधिक है। इसी प्रकार मातृ मृत्यु दर 244 (प्रति लाख जन्म) है जो राष्ट्रीय औसत (167) से 77 अंक अधिक है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि राज्य में स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति बेहद खराब है। हालांकि स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के जरीये प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियांवयन में बजट की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है। प्रस्तुत नोट में राज्य में स्वास्थ्य एवं पोषण हेतु बजट आवंटन एवं व्यय तथा संबंधित मुद्दों का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण :

वित्तीय वर्ष 2016–17 में राजस्थान का कुल बजट 171260.99 करोड़ रूपये है जिसमें से लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए कुल 9537.40 करोड़ रूपये आवंटित किये गए हैं, जो कुल राज्य बजट का 5.57 प्रतिशत है जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.3 प्रतिशत कम है।

नीचे दी गयी तालिका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में की गई कुल आवंटित राशि को दर्शाती है।

तालिका 1 : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का बजट विवरण (राशि करोड़ में)

	2015–16 बजट अनुमान			2015–16 संशोधित अनुमान			2016–17 बजट अनुमान		
	आयोजना भिन्न	आयोजना	योग	आयोजना भिन्न	आयोजना	योग	आयोजना भिन्न	आयोजना	योग
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य									
राजस्व	3325.23	1995.44	5320.67	3240.64	1715.01	4955.65	3464.3	2236.40	5700.70
पूंजीगत	0	1068.69	1068.69	0	733.51	733.51	0	1261.78	1261.78
योग	3325.23	3064.13	6389.36	3240.64	2448.53	5689.17	3464.3	3498.18	6962.48
परिवार कल्याण									
राजस्व	27.32	2999.59	3026.91	24.63	2527.59	2552.23	26.9486	2547.95	2574.90
पूंजीगत	..	..	..	..	..	..	..	..	..
योग	27.32	2999.59	3026.91	24.63	2527.59	2552.23	26.9486	2547.95	2574.90
महा योग	3352.55	6063.72	9416.27	3265.27	4776.12	8241.39	3491.25	6046.14	9537.39

स्रोत : राज्य बजट पुस्तिका, राजस्थान सरकार

ऊपर दी गयी तालिका के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015–16 के बजट अनुमान में 9416.27 करोड़ रूपये आवंटित किये गए थे जो संशोधित बजट में घटकर 8241.40 रह गए। इससे ये पता चलता है कि जितनी राशि आवंटित हो रही है सरकार उतना खर्च नहीं कर रही है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट अनुमान में 2015–16 के संशोधित बजट की तुलना में 15.73 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी है।

ऊपर दी गयी तालिका दर्शाती है कि राज्य सरकार की कुल अनुमानित आयोजना राशि में गत वर्ष की अनुमानित राशि की तुलना में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के आयोजना बजट में लगभग 450 करोड़ रू की बढ़ोतरी की गयी है।

तालिका 2 : राज्य बजट में चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का हिस्सा (राशि करोड़ में)

वर्ष	कुल राज्य बजट	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर कुल आवंटन	प्रतिशत
2015–16 बजट अनुमान	137713.38	9416.27	6.83
2015–16 संशोधित अनुमान	180420.43	8241.40	4.57
2016–17 बजट अनुमान	171260.99	9537.39	5.57

स्रोत : राज्य बजट पुस्तिका, राजस्थान सरकार

उपरोक्त तालिका के अनुसार वर्ष 2015–16 में राज्य के कुल बजट अनुमान का 6.83 प्रतिशत चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए आवंटित किया गया जो 2015–16 के संशोधित बजट में घटकर 4.57 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा 2016–17 में राज्य के कुल बजट अनुमान का 5.57 प्रतिशत चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए आवंटित किया गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 1.3 प्रतिशत कम है।

शहरी एवं ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल व्यय :

तालिका 3 : राज्य में शहरी एवं ग्रामीण स्वास्थ्य पर कुल आवंटन (राशि करोड़ में)

संख्या	मद	2015–16 बजट अनुमान	2015–16 संशोधित अनुमान	2016–17 बजट अनुमान
1	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – एलोपैथी	1571.37	1558.34	1649.86
2	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – अन्य	203.53	206.76	227.15
3	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – पूंजीगत	113.59	51.02	101.17
कुल शहरी		1888.49	1816.13	1978.17
4	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं – एलोपैथी	1164.69	1035.11	1215.66
5	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं – अन्य	438.75	465.17	462.97
6	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं – पूंजीगत	306.8	201.09	313.36
कुल ग्रामीण		1910.24	1701.36	1991.99

स्रोत : राज्य बजट पुस्तिका, राजस्थान सरकार

2015–16 में शहरी स्वास्थ्य पर किया जाने वाला कुल राजस्व एवं पूंजीगत बजट आवंटन 1888.49 करोड़ रूपये था जो 2015–16 के संशोधित बजट में घटकर 1816.13 करोड़ रूपये हो गया। 2015–16 के बजट अनुमान की तुलना में 2016–17 के बजट अनुमान में लगभग 90 करोड़ रूपये की बढ़ोतरी की गयी है। इसके अलावा 2015–16 के बजट अनुमान में ग्रामीण स्वास्थ्य पर किये जाना वाला कुल राजस्व एवं पूंजीगत आवंटन 1910.24 करोड़ रूपये था जो संशोधित बजट में घटकर 1701.36 करोड़ रूपये रह गया। इससे पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में राजस्थान सरकार ग्रामीण क्षेत्र के कुल बजट अनुमान का लगभग 200 करोड़ रूपये खर्च नहीं कर पाई। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2016–17 में ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं पर कुल प्रस्तावित व्यय में 1991.99 करोड़ रूपये आवंटित किये गए हैं जो गत वर्ष की तुलना में लगभग 80 करोड़ रूपये ज्यादा है। राजस्थान की लगभग 75 प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है इस हिसाब से देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति व्यय शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति व्यय से कम दिखता है।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की मुख्य आयोजनाओं के बजटीय प्रावधान :

नीचे दी गई तालिका चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अंतगर्त आने वाली मुख्य योजनाओं के बजटीय प्रावधान को दर्शाती है।

तालिका 4 : मुख्य योजनाओं के बजटीय प्रावधान (राशि करोड़ में)

आयोजना	आवंटन	2015–16 बजट अनुमान	2015–16 संशोधित अनुमान	2016–17 बजट अनुमान
राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	कुल बजट	290.13	81.16	117.50
	केंद्र का योगदान	239.36	48.7	70.50
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	कुल बजट	1810.00	1674.58	1598.61
	केंद्र का योगदान	1606.00	888.95	935.17
मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना	कुल बजट	367.42	360.99	360.36
मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना	कुल बजट	117.18	87.93	105.50
समुदाय आधारित अतिकुपोषित बच्चों का प्रबंध			1.98	0.93

स्रोतः राज्य बजट पुस्तिका, राजस्थान सरकार

- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन : वित्तीय वर्ष 2015–16 में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन पर आवंटित बजट राशि 290.13 करोड़ रूपये थी जो संशोधित बजट में घटकर सिर्फ 81.16 करोड़ रूपये रह गयी । इससे सरकार की बजट राशि उपयोग न कर पाने की अक्षमता का ज्ञान होता है। 2016–17 की अनुमानित बजट राशि में 2015–16 की अनुमानित बजट राशि की तुलना में लगभग 51 प्रतिशत की कमी की गयी है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में 2015–16 के बजट अनुमान में कुल 1810 करोड़ रूपये आवंटित किये गए जो संशोधित बजट में घटकर 1674.58 हो गया। इसके अलावा 2016–17 के बजट अनुमान में 2015–16 के बजट अनुमान की तुलना में लगभग 12 प्रतिशत की कमी की गयी है।
- मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना : वित्तीय वर्ष 2015–16 की मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना की अनुमानित बजट राशि में कुल 367.42 करोड़ रूपये आवंटित किये गए जो 2015–16 के संशोधित बजट में घटकर 360.99 करोड़ रूपये रह गये। इसके अलावा 2016–17 की अनुमानित बजट राशि में 7 करोड़ रूपये की कमी की गयी है। प्रदेश में निशुल्क दवा योजना की जरूरत और लोकप्रियता को देखते हुए यह कमी चिंताजनक है।
- मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना : वित्तीय वर्ष 2015–16 की कुल आवंटित बजट राशि 117.17 करोड़ रूपये थी जो 2015–16 की संशोधित बटज में घटकर 87.93 करोड़ रूपये रह गयी। 2016–17 के बजट अनुमान को 2015–16 के बजट अनुमान की तुलना में लगभग 12 करोड़ रूपये घटाकर 105.50 करोड़ रूपये कर दिया गया है।
- समुदाय आधारित अतिकुपोषित बच्चों का प्रबंध : इस वर्ष राज्य में कुपोषण की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने एक नयी योजना शुरू की है जिसमें 2015–16 के संशोधित बजट में 1.98 करोड़ रूपये आवंटित किये गए है तथा 2016–17 के बजट अनुमान में मात्र 93 लाख रूपये आवंटित किये गए हैं।

पोषण हेतु कुल बजट :

देश के अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में भी कुपोषण एक गंभीर समस्या है एवं इसका सर्वाधिक प्रभाव बच्चों एवं महिलाओं पर देखा जा सकता है। हालांकि राज्य पोषण से संबंधित केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनायें एवं कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिनमें समंवित बाल विकास सेवा, मिड डे मील एवं आदिवासी क्षेत्रों में संचालित मां बाड़ी केन्द्र आदि प्रमुख है। राज्य में पोषण से जुड़ी मुख्य योजनायें केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित की जा रही है जिनमें समंवित बाल विकास सेवा मुख्य है जो मुख्यतया केन्द्र सरकार द्वारा पोषित है। जिसके अंतर्गत आंगवाडी केन्द्रों के माध्यम से महिलाओं, बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को पोषण सामग्री वितरित की जाती है। लेकिन राज्य में बड़ी संख्या में आंगवाड़ी केन्द्रों के पास स्वयं के भवन नहीं हैं एवं ये किराये के भवनों में चल रहे हैं। साथ ही इन केन्द्रो पर विभिन्न सेवाओं एवं सुविधाओं की स्थिति भी बेहद खराब है। इसके अलावा मिड डे मील भी केन्द्र सरकार द्वारा पोषित प्रमुख योजना है जिसके माध्यम से राज्य के विद्यालयों में 8वीं तक के बच्चों को दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाया जाता है।

यहाँ हम राज्य में पोषण के बजट का विश्लेषण प्रस्तुत कर रहें हैं, इसमें मुख्यतः आई.सी.डी.एस. तथा तबला का बजट शामिल है।

तालिका 5 : राज्य में पोषण हेतु कुल बजट (राशि– करोड़ों में)

मद	2014–15 बजट अनुमान	2014–15 वास्तविक व्यय	2015–16 बजट अनुमान	2015–16 संशोधित अनुमान	2016–17 बजट अनुमान
राजस्व	1678.71	1420.17	1480.90	1444.19	1572.76
पूंजीगत	278.60	-9.25	214.78	147.89	94.50
कुल	1957.32	1410.91	1695.68	1592.09	1667.26

स्रोतः राज्य बजट पुस्तिका राजस्थान सरकार

उपरोक्त तालिका के अनुसार इस वर्ष 2016–17 हेतु कुल करीब 1667 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है जो गत वर्ष के बजट अनुमान (1695.69 करोड़) से करीब 32 करोड़ रुपये कम है। अतः गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष के बजट में कटौती की गयी है साथ ही गत वर्ष के संशोधित बजट में भी करीब 102 करोड़ की कमी की गयी है। इसके अलावा उपरोक्त बजट आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि राज्य में जितना बजट आवंटित किया जाता है उससे काफी कम राशि व्यय होती है। वर्ष 2014–15 में कुल 1957 करोड़ रु. आवंटित किये गये जबकि 1410 करोड़ रु. ही व्यय हो पाये। अतः राज्य में पोषण संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों में बजट व्यय आवंटित की गयी राशि से काफी कम रहता है।

राज्य में पोषण से जुड़े प्रमुख मुद्देः

- राज्य में बड़ी संख्या में महिलायें एवं बच्चे एनिमिया एवं कुपोषण से ग्रसित है। राज्य में करीब 53 प्रतिशत महिलायें एनिमिया से ग्रसित हैं वहीं करीब 37 प्रतिशत बच्चे कुपोषण से ग्रसित हैं।

शेष पृष्ठ 3 पर ....

राज्य में अल्पसंख्यकों हेतु बजट की स्थिति

बजट में मामूली बढ़ोतरी, पर फिर रहा कुल बजट के एक प्रतिशत से कम

वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 11.5 प्रतिशत अर्थात 78.9 लाख है जिसमें मुसलमान 62.15 लाख, सिक्ख 8.7 लाख, ईसाई 0.9 लाख, जैन 6.2 लाख एवं बौद्ध 0.12 लाख है। 2001 में अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 10.07 प्रतिशत थी। वर्ष 2001 में अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 10.07 प्रतिशत अर्थात 56.89 लाख थी जिसमें मुसलमान 47.88 लाख, सिक्ख 8.18 लाख, ईसाई 0.73 लाख एवं बौद्ध 0.10 लाख थे।

अल्पसंख्यक समुदाय में साक्षरता दर कम होने, बच्चों की जन्म व मृत्यु दर अपेक्षाकृत अधिक होने, रोजगार के अवसर कम होने आदि कारणों से ये विकास की मुख्य धारा से पिछड़े हुये हैं, अतः इनके विकास एवं उत्थान के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में त्वरित गति से कार्य कराये जाने तथा कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी, उनकी समस्याओं व शिकायतों के निदान के लिये राज्य सरकार ने वर्ष 2009–10 के बजट भाषण में अल्पसंख्यकों (मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध व पारसी) के लिये केन्द्र सरकार की तर्ज पर अल्पसंख्यक मामलात विभाग का गठन किया। अल्पसंख्यकों से संबन्धित विभिन्न संस्थाएं जैसे राज्य हज कमेटी, वक्फ विभाग, मदरसा बोर्ड, राज्य अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम तथा राजस्थान वक्फ विभाग परिषद भी अल्पसंख्यक मामलात विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं।

राज्य में अल्पसंख्यक मामलात विभाग का बजट :

राज्य में अल्पसंख्यक वर्ग के विकास हेतु अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा बहुत सी योजनाओं का संचालन किया जाता है और साथ ही राज्य में प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम एवं बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इसके अलावा जरूरतमंद अल्पसंख्यकों को कारोबार ऋण, शिक्षा ऋण आदि आसान दरों पर उपलब्ध करवाया जाता है। वर्ष 2016–17 के बजट अनुमान में अल्पसंख्यक कल्याण के लिये कुल 155.47 करोड़ रूपये आवंटित हुए जो राज्य के कुल बजट का केवल 0.09 प्रतिशत ही है जो कि नगण्य है एवं गत वर्ष के बजट अनुमान (0.08 प्रतिशत) से केवल 0.02 प्रतिशत ही बढ़ाया गया है।

सारिणी 1 में पिछले तीन वर्षों में अल्पसंख्यक कल्याण के लिये आवंटित राशि का राज्य के कुल बजट में अनुपात दिखाया गया है जिससे यह चिंताजनक स्थिति दिखाई देती है कि किसी भी वर्ष में अल्पसंख्यक वर्ग को आवंटित राशि राज्य के कुल बजट का 1 प्रतिशत भी नहीं है।

सारिणी 1: पिछले तीन वर्षों में राज्य बजट में अल्पसंख्यकों हेतु आवंटन
(राशि करोड़ में)

वर्ष	राज्य का कुल बजट	अल्पसंख्यक	प्रतिशत
2014–15 (बजट अनुमान)	131426.89	115.5	0.08
2014–15 (संशोधित अनुमान)	126111.62	87.53	0.06
2014–15 (वास्तविक व्यय)	116605.48	79.5	0.06
2015–16 (बजट अनुमान)	137713.38	102.166	0.07
2015–16 (संशोधित अनुमान)	180420.42	109.62	0.06
2016–17 (बजट अनुमान)	171260.99	155.47	0.09

स्रोत : बजट पुस्तकों के आधार पर

अल्पसंख्यक कल्याण के लिये अल्पसंख्यक मामलात विभाग को जारी राशि राज्य बजट के मुख्य शीर्ष 2225, 4225 तथा 6225 के अंतर्गत उपमुख्य शीर्ष 04 से, मुख्य शीर्ष 2202 के उपमुख्य शीर्ष 800 में एवं 2250 के उपमुख्य शीर्ष 102 में आवंटित की जाती है जिसका विवरण सारणी 2 में दिया गया है।

सारिणी 2: अल्पसंख्यक मामलात विभाग को जारी राशि का विश्लेषण (राशि करोड़ में)

वर्षध्लेखा शीर्ष		2202	2225	2250	4225	6225	महायोग
		सामान्य शिक्षा – मदरसा स्कूल बोर्ड (उपमुख्य शीर्ष 800)	अनुसुचित जातियों , अनुसुचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर राजस्व व्यय (उपमुख्य शीर्ष 04)	अन्य सामाजिक सेवाएं – वक्फ ट्रिब्यूनल (उपमुख्य शीर्ष 102)	अनुसुचित जातियों , अनुसुचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पुंजीगत परिव्यय (उपमुख्य शीर्ष 04)	अनुसुचित जातियों , अनुसुचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये कर्ज (उपमुख्य शीर्ष 04)	अल्पसंख्यकों का कल्याण का योग
2014-15 (बजट अनुमान)	आयोजना भिन्न	0	10.51	0.4	0	0	10.91
	आयोजना	63.77	35.84	0	2.5	2.5	104.61
	कुल	63.77	46.36	0.4	2.5	2.5	115.53
	राज्य आयोजना के लिये केन्द्रीय सहायता	3.15	29.77	0	0	0	32.92
2014-15 (संशोधित अनुमान)	आयोजना भिन्न	0	8.53	0.4	0	0	8.95
	आयोजना	52.89	14.4	0	8.5	2.65	78.58
	कुल	52.89	23.02	0.4	8.5	2.65	87.53
	राज्य आयोजना के लिये केन्द्रीय सहायता	0	9.39	0	5.6	0	15.018
2014-15 (वास्तविक व्यय)	आयोजना भिन्न	0	8.3	0.5	0	0	8.8
	आयोजना	47.32	12.45	0	8.36	2.5	70.63
	कुल	47.32	20.83	0.5	8.36	2.5	79.5
	राज्य आयोजना के लिये केन्द्रीय सहायता	0	0	0	0	0	0
2015-16 (बजट अनुमान)	आयोजना भिन्न	0	9.65	0.5	0	0	10.15
	आयोजना	65.76	6.75	0	16.46	3	92
	कुल	65.76	16.4	0.5	16.48	3	102.166
	राज्य आयोजना के लिये केन्द्रीय सहायता	0	0.5	0	7.5	0	8.09
2015-16 (संशोधित अनुमान)	आयोजना भिन्न	0	8.1	0.6	0	0	8.7
	आयोजना	44.3	6.9	0	48.6	2.65	102.45
	कुल	44.3	13.47	0.6	48.6	2.65	109.62
	राज्य आयोजना के लिये केन्द्रीय सहायता	0	1.15	0	0	0	1.15
2016-17 बजट अनुमान)	आयोजना भिन्न	0	11	0.6	0	0	11.6
	आयोजना	68.25	8.53	0	64.07	3	143.85
	कुल	68.25	19.55	0.6	64.07	3	155.47
	राज्य आयोजना के लिये केन्द्रीय सहायता	0	1.07	0	33.87	0	34.94

स्रोत : बजट पुस्तकों के आधार पर

वर्ष 2016–17 के बजट अनुमान में विभाग के लिये पारित की गयी राशि में पिछले वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में सिर्फ 53 करोड़ रू की ही बढ़ोतरी हुयी है जो कि बेहद कम है। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये आवंटित पूंजीगत परिव्यय के आयोजना मद में की गयी है। मुख्य शीर्ष 2225 में आवंटित बजट में आयोजना भिन्न व्यय की तुलना में आयोजना व्यय कम है जिससे यह मालूम होता है कि अल्पसंख्यक मामलात विभाग को जारी राशि में प्रशासनिक खर्चों का अनुपात कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च की तुलना में ज्यादा है।

2015–16 के बजट अनुमान में अल्पसंख्यक मामलात विभाग को जारी राशि 102.16 करोड़ रू थी जो इसी वर्ष के संशोधित अनुमान में 6.9 करोड़ से बढ़ कर 109.06 करोड़ रू हो गयी है। यह बढ़ोतरी भी अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिय आवंटित पूंजीगत परिव्यय के आयोजना मद में की गयी है परंतु मुख्य शीर्ष 2202– सामान्य शिक्षा में मदरसों के लिये बजट में कमी की गयी है। इसी प्रकार वर्ष 2014–15 के लेखे से हम देख सकते हैं कि वास्तविक खर्च आवंटित बजट से 36.03 करोड़ रू कम है। यह कमी मुख्यतः बजट शीर्ष 2225– अल्पसंख्यकों के कल्याण पर राजस्व व्यय में की गयी है जो कि बजट अनुमान में 46.36 करोड़ रू थी परंतु वास्तविक खर्च केवल 20.83 करोड़ रू ही किया गया जो कि निंदा योग्य है क्योंकि इस शीर्ष में अल्पसंख्यक मामलात विभाग को कल्याणकारी योजनाओं के लिये बजट आवंटन किया जाता है।

हालांकी इस वर्ष अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये बजट में बढ़ोतरी देखी गयी है परंतु 2014–15 के लेखे में आयी कमी को देख कर कहा जा सकता है कि अल्पसंख्यकों के कल्यााण के लिये आवंटित राशि को ठीक से खर्च नहीं किया गया है। अतः हम यह आशा करते हैं कि अल्पसंख्यक कल्याण के लिये अल्पसंख्यक मामलात विभाग को आवंटित राशि अधिक प्रभावशाली ढंग से खर्च की जाये ताकी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाया जा सके।

पृष्ठ 1 का शेष – राज्य में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र.....

अनुमान में और भी घटा कर 2.8 प्रतिशत कर दिया है। जबकी सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण संबंधित सेवाओं पर 2015–16 में राज्य के कुल बजट का 2.5 प्रतिशत आवंटित हुआ जिसे संशोधित अनुमान में घटा कर केवल 1.79 प्रतिशत कर दिया गया है। ऐसी स्थिती में जब कृषि क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से वृद्धि की दर धीमी बनी हुई है राज्य सरकार ने कृषि एवं सिंचाई के आवंटन को पिछले वर्ष की तुलना में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की है।

तालिका 2: राज्य में कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र के लिये पिछले तीन वर्ष का बजट
(रू करोड़ में)

	2014–15 (बजट अनुमान)	2014–15 (संशोधित अनुमान)	2014–15 (वास्तविक व्यय)	2015–16 (बजट अनुमान)	2015–16 (संशोधित अनुमान)	2016–17 (बजट अनुमान)
राजस्व व्यय						
फसल कृषि कर्म	2396.98	2270.56	1833.27	2312.70	2248.72	3282.03
मृदा तथा जल संरक्षण	78.67	61.03	59.89	81.49	67.18	54.72
पशुपालन	743.27	703.25	576.48	714.43	638.16	721.52
डेरी विकास	28.59	25.94	13.2	8.19	5.83	8.7
मछली पालन	14.82	13.96	13.31	14.59	13.76	14.45
वानिकी तथा वन्य जीवन	827.30	780.48	710.5	833.97	826.45	876.69
खाद्य भंडारण तथा भंडागार	0.00	0.00	0	0.00	0	0.0001
कृषि अनुंसधान तथा शिक्षा	176.34	194.98	162.3	182.56	180.78	227.58
सहकारिता	420.19	623.55	611.5	643.24	628.36	634.1
अन्य कृषि कार्यक्रम	8.10	8.58	8.2	9.45	8.74	9.39
राजस्व व्यय योग	4694.26	4652.32	3988.76	4800.62	4618.02	5829.21
पूंजीगत व्यय						
फसल कृषि कर्म	395.38	237.16	299.5	243.55	253.44	534.51
मृदा तथा जल संरक्षण	0.37	0.13	0.27	1.28	0.4	0.2
पशुपालन	31.00	17.59	16.96	19.85	14.17	7.75
डेरी विकास	0.00	0.00	0	0.00	0.0001	0.0001
मछली पालन	2.75	3.10	1.37	1.80	2.01	1.37
वानिकी तथा वन्य जीवन	331.02	245.85	216.55	154.40	216.39	114.28
खाद्य भंडारण तथा भंडागार	0.00	0.00	0	0.00	0	0
कृषि अनुंसधान तथा शिक्षा	0	0.00	0	0.00	0	0
सहकारिता	14.38	14.38	14.37	11.05	25.39	0
अन्य कृषि कार्यक्रम	0.00	0.00	0	0.00	0	0
पूंजीगत व्ययोग	774.89	608.36	549.04	431.93	511.83	686.72
महायोग	5469.15	5260.68	4537.8	5232.55	5129.85	6515.93

स्रोत : बजट पुस्तीका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

उपरोक्त तालिका के अनुसार कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र के लिये आवंटित बजट में इस वर्ष पिछले वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में 1283.38 रू करोड़ की वृद्धि हुयी है। यह वृद्धि राजस्व एवं पूंजीगत दोनों ही व्यय मदों में फसल कृषि कर्म के लिये देखी जा सकती है। हालांकि अगर पिछले दो वर्षों के बजट को देखें तो पता चलता है कि बजट अनुमान की तुलना में संशोधित बजट तथा वास्तविक व्यय में कमी की जाती रही है। ऐसे में इस वर्ष के बजट अनुमान में आवंटित राशि का संशोधित बजट में घटने की संभावना देखी जा सकती है। यह चिन्ताजनक है क्योंकि राज्य में कृषि की बिगडती स्थिति, कृषि क्षेत्र की धीमी वृद्धि दर तथा कृषि विभााग में खाली पदों को देखते हुए कृषि के लिये बजट आवंटन में वृद्धि करना अती आवश्यक है।

पृष्ठ 2 का शेष – राज्य सरकार का स्वास्थ्य एवं पोषण बजट....

राज्य में शिशु मृत्यु दर 47 है जो राष्ट्रीय औसत (40) से 7 अंक अधिक है। इसी प्रकार मातृ मृत्यु दर 244 है जो राष्ट्रीय औसत (167) से 77 अंक अधिक है।

- शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर के अधिक होने के पीछे एनिमिया एक प्रमुख कारण है।
- राज्य में बड़ी संख्या में आंगवाड़ी केन्द्रों के पास स्वयं के भवन नहीं हैं एवं ये किराये के भवनों में चल रहे हैं। साथ ही इन केन्द्रो पर विभिन्न सुविधाओं एवं सेवाओं की स्थिति भी बेहद खराब है।

वर्तमान में राजस्थान सरकार कुल बजट राशि का मात्र 4–5 प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च करती है, यह राशि राज्य की स्वास्थ्य संबंधित ज़रूरतों को देखते हुए बहुत कम है। राजस्थान में स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति को देखते हुए, यह जरूरी है कि राज्य सरकार इन मदों में आवंटित बजट का उपयोग सही तरीके से करे। विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को पुरा करने के लिए रिक्त पदों पर भर्ति करे तथा कर्मचारियों को जिम्मेदार बनाए। स्वास्थ्य एवं पोषण में गहरा संबंध है। स्वास्थ्य से जुड़ी ईकाईयों में सुधार के लिए यह आवश्यक है कि पोषण से जुड़ी योजनाओं का क्रियानवयन ठीक तरह से किया जाए तथा उनके बजट में बढ़ोतरी हो। पिछले वर्षों कि तुलना में पोषण के लिए आवंटित बजट में काफि गिरावट आई है जिसका सीधा असर स्वास्थ्य से जुड़े सूचकों पर पड़ सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि विभिन्न योजनाओं जैसे, मध्याहन भोजन योजना समन्वित बाल विकास योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन इत्यादि पर अधिक ज़ोर दिया जाए।

राज्य बजट 2016–17 तथा महिलाएं

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में करीब 3.2 करोड़ महिलाएं हैं। जिनमें 2.4 करोड़ महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 81 लाख शहरी क्षेत्रों में निवास कर रही हैं अर्थात 75 प्रतिशत महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 25 प्रतिशत महिलाएं शहरी क्षेत्रों में निवास कर रही हैं। राजस्थान में लिंगानुपात वर्ष 2001 की तुलना में 922 से बढ़ कर 928 महिलाएं प्रति 1000 पुरूष हो गया है परन्तु यह देश के लिंगानुपात की तुलना में कम है। मातृ– मृत्यु दर, कुपोषण, खून की कमी, बिमारी, बाल विवाह, लिंग अनुपात में कमी महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि महिलाओं से जुड़े ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने तथा शीघ्र सुधार की आवश्यकता है परन्तु राज्य के बजट प्रावधानों का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि राज्य में महिलाओं के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा किया जाने वाला व्यय बहुत ही कम है।

राज्य में महिलाओं के कल्याण के लिये महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कई कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिनमें मुख्य रुप से मुख्यमंत्री सात सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम, महिला विकास कार्यक्रम, स्वावलम्बन योजना, सामूहिक विवाह हेतु अनुदान, राज्य महिला आयोग, जैंडर संवेदनशील बजटिंग, किशोरी शक्ति योजना, घरेलु हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 आदि हैं।

राज्य में महिलाओं के लिये बजट

राज्य में महिला विकास एवं सशक्तिकरण के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रमों के लिये बजट में राजस्व व्यय के लिये के मुख्य शीर्ष 2235 (सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण) के उप मुख्य शीर्ष 02 (समाज कल्याण) के अन्दर लघु शीर्ष 103 (महिला कल्याण) तथा लघु शीर्ष 196 (जिला स्तर की पंचायतों को सहायता) की इकाई 02 (महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु) में प्रावधान रखा जाता है। इसके साथ ही मुख्य शीर्ष 2236 (पोषण) में भी महिला कल्याण के लिये बजट आवंटित किया जाता है। पूंजीगत व्यय के लिये मुख्य शीर्ष 4235 (सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत व्यय) के उप मुख्य शीर्ष 02 (समाज कल्याण) के अन्दर लघु शीर्ष 103 (महिला कल्याण), लघु शीर्ष 789 (अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना) तथा लघु शीर्ष 796 (जनजातिय क्षेत्र उपयोजना) एवं मुख्य शीर्ष 4236 (पोषण पर पूंजीगत व्यय) में आवंटित किया जाता है।

वर्ष 2016–17 के लिये राज्य का कुल बजट 171260.99 करोड़ रू रखा गया है जिसमें महिलाओं के कल्याण के लिये कुल 1748 करोड़ रूपये आवंटित किए गए जो राज्य के कुल बजट का केवल 1.02 प्रतिशत ही है। वर्ष 2015–16 में महिलाओं के कल्याण के लिये आवंटित राशि राज्य के कुल बजट का 1.2 प्रतिशत थी तथा 2014–15 के बजट में राज्य के कुल बजट का 1.5 प्रतिशत भाग महिला कल्याण के लिये प्रस्तावित किया गया था यानी पिछले तीन वर्षों से महिलाओं के कल्याण के लिये किये जाने वाले आवंटन को घटाया जाता रहा है।

निचे दी गई सारणी में महिलाओं के कल्याण के लिये किये जाने वाले खर्च को दर्शाया गया है।

सारणी 1: राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग के लिये बजट

(राशि करोड़ में)

मद	2014–15 (वास्तविक व्यय)				2015–16 (बजट अनुमान)				2015–16 (संशोधित अनुमान)				2016–17 (बजट अनुमान)			
	आयोजना भिन्न	आयोजना	योग	केन्द्रीय सहायता	आयोजना भिन्न	आयोजना	योग	केन्द्रीय सहायता	आयोजा भिन्न	आयोजना	योग	केन्द्रीय सहायता	आयोजना भिन्न	आयोजना	योग	केन्द्रीय सहायता
राजस्व व्यय																
2235 –02-**103**	**5.8**	**9.5**	**15.3**		**6.098**	**22.42**	**28.5**	**3.181**	5.17	7.44	12.6	0.4	5.3	24.29	29.6	6.09
2235–02–196–**(02)**	**6.38**	**28.19**	**34.5**		**7.882**	**34.39**	**42.2**	**5.036**	6.8	35.73	42.53	6.7	7.5	40.16	47.75	10.04
2236	88.8	1331	1420		97.69	1383	**1481**	436.9	95.7	1349	1444	659.6	97.26	1476	1573	727.5
राजस्व व्यय योग	**101**	**1369**	**1470**		**111.7**	**1440**	**1552**	**445.2**	**107**	**1392**	**1499**	**666.7**	**110.1**	**1540**	**1650**	**743.7**
पूँजीगत व्यय																
4235 –02-**103**	..	15.83	15.83		..	11.75	**11.75**	2.428	..	1.67	1.67	0	..	2.95	2.95	0
4235 –789	..	3.14	3.14		..	2.14	**2.14**	0.64	..	0	0	0	..	0	0	0
4235 –796	..	2.44	2.44		..	1.55	**1.55**	0.5	..	0	0	0	..	0	0	0
4236	..	-9.2	-9.2		..	214.8	**214.8**	78.9	..	147.9	147.9	92.6	..	94.5	94.5	35.7
पूँजीगत व्यय योग		**12.1**	**12.1**		**0**	**230.2**	**230.2**	**82.4**		**149.6**	**149.6**	**92.6**		**97.4**	**97.4**	**35.7**
महायोग	**101**	**1381**	**1482**		**111.7**	**1670**	**1782**	**527.6**	**107**	**1542**	**1649**	**759.4**	**110.1**	**1637**	**1748**	**779.4**

स्रोत : बजट पुस्तकों के आधार पर

ऊपर दी गयी सारणी के अनुसार वर्ष 2015–16 के संशोधित अनुमान में महिला कल्याण के लिये आवंटित राशि में इसी वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में 133 करोड़ रू. की कमी आयी है। यह कमी मुख्य रूप से पोषण के लिये आवंटित पूँजीगत बजट में 66.9 करोड़ रू. की कमी होने की वजह से आयी है। जहाँ 2015–16 के बजट अनुमान में पोषण के लिये 214.8 करोड़ रू पूँजीगत बजट रखा गया था वहीं संशोधित अनुमान में इसे केवल 149.6 करोड़ रू कर दिया गया है।

हालांकी वर्तमान वर्ष के बजट अनुमान में 2015–16 के संशोधित अनुमान की तुलना में 99 करोड़ रू तथा वर्ष 2014–15 के वास्तविक व्यय से 266 करोड़ रू की वृद्धी हुई है परन्तु 2015–16 के बजट अनुमान की तुलना में 34 करोड़ रू की कमी आयी है।

राजस्थान में जेण्डर बजट :

राजस्थान सरकार ने 2006–07 में पहली बार, राजस्व विभाग सहित, अपने 6 विभागों का जेण्डर बजट विश्लेषण किया जिसके पश्चात 2007–08 में भी 8 विभागों का जेण्डर बजट विश्लेषण किया गया। वर्ष 2009 में महिला एवं बाल विकास विभाग में जेण्डर बजट सेल की स्थापना की गयी तथा 2010 में मुख्य सचिव के नेतृत्व में उच्च स्तरीय समिति बनाई गयी। अगस्त 2011 में जारी किये गये बजट सर्कुलर में पहली बार जेण्डर बजट को लागू करने की बात की गयी। अगले वर्ष राजस्थान बजट 2012–13 में जेण्डर बजट विवरण जारी किया गया, जिसमें सरकारी कार्यक्रमों को महिला लाभार्थीयों के प्रतिशत के अनुसार निम्न दी गयी सारणी में दर्शायी गयी श्रेणियाँ प्रदान की गई।

सारणी 2: राज्य के जेण्डर बजट विवरण में सरकारी कार्यक्रमों को दी जाने वाली श्रेणियाँ

श्रेणी	महिला लाभार्थीयों का प्रतिशत
A	70%>
B	70-30%
C	30-10%
D	<10%

स्रोत : बजट पुस्तकों के आधार पर

परन्तु सारणी 2 में दर्शायी श्रेणियाँ कार्यक्रमों/योजनाओं को नहीं दे कर कार्यक्रमों/योजनाओं के गैर योजना, योजना तथा केंद्र प्रवर्तित योजना को अलग अलग दिया जाता है।

राज्य के जेण्डर बजट का विश्लेषण :

विधानसभा में पेश किये गये बजट के जेण्डर घटक में बीते वर्ष के जेण्डर बजट की ही तरह फिर से बजट फाइनलिजेशन कमेटी (बी.एफ.सी) वार सूचना दी गयी है। जेण्डर बजट विवरण का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि 2016–17 में राज्य के कुल बजट में योजना खर्च के जेण्डर घटक में वर्ष 2015–16 की तुलना में लगभग 0.28% की कमी हुई है तथा गैर योजनागत खर्च के जेण्डर घटक में भी 1.01% की कमी हुयी है।

सारणी 3 : राज्य के कुल बजट में जेण्डर घटक का प्रतिशत (%)

वर्ष	गैर योजना खर्च	योजना खर्च	केन्द्र प्रवर्तित योजना खर्च
2012–13	19.14	32.97	50.82
2013–14	19.94	35.24	54.33
2014–15	18.62	38.99	46.18
2015–16	19.68	42.46	–
2016–17	18.67	42.18	–

स्रोत : बजट पुस्तकों के आधार पर

आगामी वर्ष के दौरान महिलाओं के कल्याण के लिये निश्चित की गयी योजनाओं एवं उन पर किये जाने वाले खर्च के बारे में इस बजट से कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। जैसा कि शुरू में जिक्र किया गया है कि जेण्डर बजट में सूचना ना तो मुख्य शीर्षवार दी गयी है और ना ही विभागवार, बल्कि बी.एफ.सी वार दी गयी है जिस कारण योजनाओं/कार्यक्रमों को भी कोई एक श्रेणी नहीं दी गयी है तथा उनके गैर योजना खर्च, योजना खर्च व केन्द्र प्रायोजित योजना खर्च में दी जाती है। अतः किसी योजना/कार्यक्रम के बारे में भी कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

सारणी 4 : जेण्डर बजट विवरण के अनुसार योजनाओं/कार्यक्रमों का वर्गीकरण

व्यय मद	A			B			C			D			कुल		
	2014–15	2015–16	2016–17	2014–15	2015–16	2016–17	2014–15	2015–16	2016–17	2014–15	2015–16	2016–17	2014–15	2015–16	2016–17
गैर योजना भिन्न	22	23	22	185	164	195	107	95	99	37	59	49	351	341	365
प्रतिशत (%)	6.26	6.74	6.02	52.7	48.09	53.42	30.48	27.8	27.12	10.54	17.3	13.42	100	100	100
योजना	72	86	94	453	430	491	162	193	66	38	34	37	725	743	688
प्रतिशत (%)	9.93	11.57	13.66	62.48	57.8	71.36	22.34	25.9	9.5	5.24	4.57	5.3	100	100	100
केंद्र प्रवर्तित योजना	19			39			27			25			110		
प्रतिशत	17.27			35.45			24.54			22.72			100		

स्रोत : बजट पुस्तकों के आधार पर

जेण्डर बजट विवरण के अनुसार जेण्डर बजट के योजना खर्च में 'ए' एवं 'बी' श्रेणी की योजनाओं/कार्यक्रमों में पिछले वर्ष की तुलना में तकरीबन 2% की तथा 13% तक की वृद्धि हुई है जबकि 'सी' श्रेणी की योजनाओं/कार्यक्रमों में पिछले वर्ष की तुलना में तकरीबन 16.4% तक कमी आयी है एवं 'डी' श्रेणी की योजनाओं/कार्यक्रमों में यह लगभग पिछले वर्ष के बराबर हैं। गैर योजना खर्च खर्च में 'ए' श्रेणी की योजनाओं/कार्यक्रमों में मामूली सी कमी हुयी है जबकि बी एवं सी श्रेणी की योजनाओं/कार्यक्रमों में लगभग वृद्धि हुयी है।'डी' श्रेणी की योजनाओं/कार्यक्रमों में लगभग 4% की कमी हुई है।

जेण्डर बजट विवरण की कुछ समस्याएँ

- जेण्डर बजट में सूचना ना तो मुख्य शीर्षवार दी गयी है ना ही विभागवार बल्कि बजट फाइनलिजेशन कमेटी (BFC) वार सूचना दी गयी है। सरकार के बाहर किसी को यह पता नहीं होता कि किस विभाग में कितनी BFCs हैं, इसलिए किसी विभाग के बारे में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है।
- योजनाओं/कार्यक्रमों को कोई एक श्रेणी नहीं दी गयी है, अतः किसी योजना/कार्यक्रम के बारे में भी कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।
- योजनाओं/कार्यक्रमों को श्रेणी लाभांवितों में महिलाओं के अनुपात के आधार पर दिया गया है, परंतु विभागों के पास लिंग वार आंकड़े उपलब्ध नहीं है।
- पिछले वर्ष के जेण्डर बजट की वास्तविक स्थिति का विवरण उपलब्ध नहीं होता है।
- यह स्पष्ट नहीं है कि किन मामलों में स्त्री एवं पुरूष लाभार्थियों के लिए ऑकड़े उपलब्ध हैं तथा किन मामलों में यह अनुमान आधारित है।

सेवा में, बुक पोस्ट

श्रीमान/श्रीमती.....

.....

..... पिन कोड.....

संपादक – नेसार अहमद
संपादक मण्डल – महेन्द्र सिंह राव
– बरखा माथुर
– विवेक मिश्रा
सहयोग – अंकुश वर्मा
– भीमसिंह मीणा
सलाहकार – डॉ जिनी श्रीवास्तव

विभिन्न विभागों की बजट सम्बन्धी विस्तृत जानकारी एवं बजट समाचार के लिए आप हमसे निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं :-

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र
पी–1, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
फोन/फैक्स : (0141) 238 5254
E-mail : info@barcjaipur.org website : www.barcjaipur.org